

302

176

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट खैवा

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

श्री प्रह्लाद आठवानी एड
वकाय (को) 10.6.14
अथ



R-2105-II/14

297
10.6.14

बुद्धा हरिजन उम्र वर्षा तनय तेजा चमार निवासीग्राम वेला मठिया अहरी
टोला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० ---- आवेदक/निगराकार
वनाम

श्री प्रह्लाद
अथ
7-7-14

यदुवीरसिंह तनय अनरुद्ध सिंह उम्र वर्षा पेशा खेती निवासीग्रामघुरडांग,
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० ---- आवेदक/निगराकार
2- शासन म०प्र०

निगरानी विरुद्ध आवेश श्रीमान्
तहसीलदार तहसील रघुराजनगर वृत्त
सतना के राजस्व प्रकरण क्र०30-एट12/
12-13 आवेश दिनांक 15-3-13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
मूराजस्व संहितासन 1959ई०

महोदय,
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने
अपने स्वत्व की भूमि न० 12/1/1 रक्बा 1-031 हे० 13 रक्बा 0-105 हे०
14/1 रक्बा 0-243 हे० 15/1 रक्बा 0-60.7 हे० 16 रक्बा 0-854 हे०
स्थित ग्रामघुरडांग, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० के संबंध में
सीमांकन हेतु आवेदनपत्र दिया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी
झुक्ना या मौजे से चौपाल में प्रकाशन आदि नहीं किया गया तथा
चोरी चोरी झुक्ना पत्र दिनांक 19-2-13 को जारी किया गया तथा

Handwritten signature

Fingerprint and signature

178

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....र. 2105-11/14..... जिला.....सतना.....

.....बुद्धा हारजन..... विरुद्ध.....यदुवीर सिंह.....

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....<u>महेन्द्र कुमार अग्रवाल</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह न्याय तहसीलदार तहसील.....<u>रघुराजगार, धत सतना</u> के प्रकरण क्रमांक.....<u>30/2-12/2012-13</u>..... में पारित आदेश दिनांक.....<u>15.03.13</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....<u>सतना</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक.....<u>25.03.13</u>..... को कलेक्टर.....<u>सतना</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> सदस्य</p>	

h
24/1/19

KOP

